

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक-एफ-3/29/2016/18-5
प्रति,

भोपाल, दिनांक /09/2016

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :- उमरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सूचना दिनांक 28/9/2016 की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियाँ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।
संलग्न : यथोपरि

(सुप्रिया पेंडके)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

क्रमांक-एफ-3/29/2016/18-5

भोपाल, दिनांक 28/09/2016

प्रतिलिपि:-

आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि नगर तथा ग्राम निवेश की वेबसाइट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

Separt

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	1350
दिनांक	01/10/16
शाखा	ADm(m)
अधीक्षक	आयुक्त

ADm(m)

05/10/16

ADm(m)

वेबसाइट पर तत्काल प्रकाशन करावे

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

// सूचना //


भोपाल, दिनांक 28/9/2016
क्रमांक-एफ-3-29/2016/18-5-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3/29/2016/18-5, दिनांक 27/04/2016 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित उमरिया विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे एवं शर्त निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	डबरोहा	330,	0.648 हे०	कृषि	आवासीय
		331,	0.244 हे०		
		332,	0.425 हे०		
		336,	0.623 हे०		
		337,	0.080 हे०		
		योग-	2.020 हेक्टेयर		

1. भूमि का आवंटन अटल आश्रय योजना हेतु किया गया है । अतः जिस प्रयोजन हेतु आवंटित की गई है, उससे भिन्न उपयोग प्रतिबंधित रहेगा ।
2. उपरोक्त उपांतरण उमरिया विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(सी के साधव)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
